

एम एस एम ई-विकास कार्यालय

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार

11-ए, औद्योगिक विकास कालोनी, कुंजपुरा रोड

करनाल-132001 हरियाणा



MSME
Development &
Facilitation Office

**MSME-Development &
Facilitation Office**

Ministry of Micro, Small & Medium
Enterprises, Government of India
11-A, IDC, Kunjpura Road,
Karnal-132001 Haryana

फाइल संख्या:एमएसएमई-डीआई/आरटीआई एक्ट 2005/17-18

दिनांक: 06.01.2023

कार्यालय आदेश

विषय: प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम (FAA) -सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम- विकास कार्यालय,
करनाल में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रयोजन के लिए,


सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम- विकास कार्यालय, करनाल श्री संजीव चावला, निदेशक को तत्काल प्रभाव से प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित करते हैं।

यदि आवेदक को सीपीआईओ से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह सीपीआईओ के उत्तर की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को संबोधित पहली अपील प्रस्तुत कर सकता/सकती है।

OFFICE ORDER:

In terms of Sub-section (1) of Section 19 of the Right to Information Act 2005, Director, MSME-DFO, Karnal is pleased to designate Sh. Sanjeev Chawla, Director as First Appellate Authority with immediate effect.

If the Applicant does not receive any information or is not satisfied with the reply of CPIO/PIO, he/she may submit 1st Appeal addressed to the Appellate Authority within 30 days from receipt of the reply of CPIO.


(संजीव चावला)
निदेशक

कॉपी सूचनार्थ :

1. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम- विकास कार्यालय, करनाल के सभी अधिकारी,
2. कार्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई), नई दिल्ली ई-मेल द्वारा
3. सभी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम- विकास कार्यालय, ई-मेल द्वारा
4. सीनेट विभाग को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम- विकास कार्यालय, करनाल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।